न्यायालय श्रीमती अमृता चौधरी, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व अपील संख्या : 09/2022 (जीसीएमएस संख्या : 2022/21)

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उर्फ मांग्या, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. बद्री पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उर्फ मांग्या, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल उर्फ मांग्या, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर।
2. प्रेमदेवी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. रतनदेवी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. रामकिशोर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
6. रामकरण पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. सोनीदेवी पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल, जाति–जाट, निवासी–शक्करखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 27.01.2022 नामान्तरकरण सं0 803 ग्राम शक्करखावदा द्वारा तहसीलदार, चाकसू)

उपस्थितः–
1. श्री सीताराम कुमावत, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
3. श्री हरलाल सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 की ओर से।
4. रेस्पाडेन्ट सं0 2, 3 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2023**

ग्राम शक्करखावदा की आराजी के खाता संख्या 77 की आराजी खसरा संख्या कुल किता 23 रकबा 17.2000 है0 के खातेदार–काश्तकार मांग्या पुत्र माधो हिस्सा 1/14, जाति–जाट साकिन देह की फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या–803

तहसीलदार, चाकसू द्वारा दिनांक 27.01.2022 को स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री सीताराम कुमावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया। सारी कार्यवाही बाला–बाला की गई है जो एकतरफा होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के हक में खातेदार मांगीलाल उर्फ मांग्या द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 08.10.2015 को तहरीर तत्पश्चात् रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र दिनांक 23.10.2015 को तहरीर किये जाने के कारण खातेदार के जीवनकाल व मृत्यु–उपरान्त अपीलान्ट्स ने तहसीलदार, चाकसू को अनेकों अवसरों पर रजिस्टर्ड दानपत्र, शुद्धिपत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाकर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् दिनांक 16.06.2020 को लिखित में आवेदन किया गया किन्तु सभी कथनों को दरकिनार कर रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार न कर बाला–बाला मांग्या उर्फ मांगीलाल के सभी वारिसान के नाम तथ्यों के विपरीत जाकर पद का दुरूपयोग करते हुए नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी जब रजिस्टर्ड दानपत्र द्वारा अपीलान्ट्स को दान की जा चुकी थी और वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त है तो तहसीलदार को विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार द्वारा मनमाने तौर पर अन्य वारिसों से मिलिभगत कर बाला–बाला तथ्यों के विपरीत नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वास्तव में विधि अनुसार यह आवश्यक था कि रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र गृहिता व्यक्तियों के हक में जो दानपत्र व शुद्धिपत्र तहरीर किया गया है, जिसके बारे में अनेको बार तहसीलदार, चाकसू को निवेदन किया गया है। उप–पंजीयक द्वारा भी रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र की प्रति नियमानुसार तहसीलदार, चाकसू को प्रेषित की गई है। रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र के आधार पर दानपत्र एवं शुद्धिपत्र गृहिताओं के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाता परन्तु तहसीलदार द्वारा सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलकर घोर अनियमितता की है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकण को तस्दीक किये जाने से पूर्व न तो मौके की जांच की और न ही रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र के बारे में सूक्ष्मता से जांच की यहां तक कि मुख्य दस्तावेज जो रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र का था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में था उसको तो बिलकुल ही दर–किनार कर तथ्यों को

छिपाते हुऐ अवांछित व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल के जीवनकाल से ही रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र तहरीर किये जाने के समय से ही अपीलान्ट्स का कब्जा–काश्त है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 7 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल जो कि अपीलान्ट्स का सगा पिता है, खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल ने अपीलान्ट्स के हक में रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र तहरीर किया है। वादग्रस्त आराजी खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल की जरिये डिक्री स्वअर्जित आराजी थी पैतृक सम्पत्ति नहीं थी। स्वअर्जित सम्पत्ति होने के कारण मांगीलाल को वादग्रस्त आराजी को बेचने, गिरवी रखने, वसीयत करने एवं दान करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने के व स्वयं के उपभोग में लेने के अधिकार थे। खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल ने अपने जीवन काल में अपीलान्ट्स के अतिरिक्त अन्य किसी के हक में न तो वसीयत की है और न ही दानपत्र तहरीर किया है। अन्तिम रूप से अपीलान्ट्स के हक में रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र तहरीर किया है जो आज भी प्रभावी है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 27.01.2022 नामान्तरकरण संख्या 803 ग्राम शक्करखावदा निरस्त फरमाया जावे और प्रकरण तहसीलदार, चाकसू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि रजिस्टर्ड दानपत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र के आधार पर अपीलान्ट्स के हक में नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकार किया जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 4 लगायत 6 के विद्वान् अभिभाषक श्री हरलाल सिंह ने कथन किया है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की एवं विधिक वारिसान की जांच कर ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट्स के साथ ही रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 लगायत 7 मृतक खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल के विधिक वारिसान है। दानपत्र अथवा कोई शुद्धिपत्र का दस्तावेज मौजूद भी है तो वह वादग्रस्त आराजी को हडपने की गरज से बनाया गया दस्तावेज है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में परीजन, सगे सम्बन्धियों व मोजीज व्यक्तियों के बीच सभी वारिसान का मांग्या उर्फ मांगीलाल की सम्पत्ति का बंटवारा राजी–खुशी कर लिया गया था जिस पर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर है और लिखावट 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर सभी भाईयों की सहमति से लिखी गई है। लिखावट के अनुसार ही खाता संख्या 77 की आराजी का सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

(6)

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान के अनुरूप पारित की गई है। नामान्तरकरण विरासत के आधार पर स्वीकार किया गया है।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 77 मांगीलाल उर्फ मांग्या को जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण संख्या 380 के कॉलम संख्या 14 में दर्ज है और इस दर्ज डिक्री के आधार पर खाता संख्या 77 की आराजी हिस्सा 1/14 का नामान्तरकरण मांग्या के नाम स्वीकार हुआ है जिसे किसी न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है अर्थात वादग्रस्त आराजी जरिये डिक्री प्राप्त मांग्या की स्वअर्जित आराजी है इसमें कोई विधिक संदेह नहीं है। स्वअर्जित आराजी को विक्रय, दान, वसीयत आदि द्वारा हस्तान्तरित किये जाने का खातेदार को अधिकार है। विचारण प्रकरण में वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 08.10.2015 एवं शुद्धिपत्र दिनांक 23.10.2015 द्वारा अपीलान्ट्स को खातेदार द्वारा दान की गई है। इस दानपत्र व शुद्धिपत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर इसके विरूद्ध कोई स्थगन आज्ञा प्राप्त की गई हो अथवा इन्हे निरस्त कराया गया हो ऐसा कथन न तो विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 ने किया है और न ही ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है अर्थात दानपत्र एवं शुद्धिपत्र का विधिक अस्तित्व विद्यमान है। इस दस्तावेज के आधार पर दान गृहिताओं के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार, चाकसू को निवेदन किया गया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.06.2020 जो कि दिनांक 16.06.2020 को तहसीलदार, चाकसू को प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है, से होती है। तहसीलदार, द्वारा मांगीलाल के समस्त खातों का विरासत के आधार पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जबकि खाता संख्या 77 के संबंध में खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र अपीलान्ट्स के हक में तहरीर कर दिया गया था। इसे किसी न्यायालय द्वारा न तो स्थगित किया जाना जाहिर है और न ही निरस्त किया जाना जाहिर है जबकि पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.06.2020 से यह स्पष्ट जाहिर है कि दानपत्र व शुद्धिपत्र की जानकारी तहसीलदार को थी। ऐसी स्थिति में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के अनुरूप आराजी खाता संख्या 77 का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र गृहिता को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिया जाकर रजिस्टर्ड दानपत्र, शुद्धिपत्र अथवा विरासत को ध्यान में रखते हुऐ गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित किया जाना चाहिए था परन्तु तथ्यों की अनदेखी कर इकतरफा नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसे न्याय–संगत नहीं ठहराया जा सकता है। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 06 के विद्वान् अभिभाषक श्री हरलाल सिंह ने

मांगीलाल उर्फ मांग्या की समस्त आराजी के संबंध में दिनांक 27.06.2005 को बंटवारानामा होने का कथन किया है परन्तु यह बंटवारानामा प्रथम दृष्ट्या रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र की तुलना में विधिक अस्तित्व नहीं रखता है।

ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकारों के विरासत अन्तरण से पूर्व प्रकरण संबंधी रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र सहित सभी पहलूओं की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिऐ थी, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में हक–हकूक/वारिस/रजिस्टर्ड दानपत्र व रजिस्टर्ड शुद्धिपत्र के सम्बन्ध में सघन जांच नहीं की गई है और न ही सम्बन्धितों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिया गया है जिसे न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। न्याय हेतु यह आवश्यक है कि विवादग्रस्त आराजी के सभी पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। किन्तु अपीलाधीन आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 27.01.2022 ग्राम–शक्करखावदा के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया है एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो विधि–विरूद्ध है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील–अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 27.01.2022 ग्राम–शक्करखावदा निरस्त की जाती हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उभय–पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/समुचित अवसर दिया जाकर उपरोक्त विश्लेषणानुसार प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अमृता चौधरी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर